समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं0 0612–2219545 (का0)
फैक्स नं0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

04-10-2013

आवेदक **श्री राकेश कुमार गुप्ता,** पिता–श्री भरत प्रसाद, सा0–203, ओमराज अपार्टमेंट, जमाल रोड, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–219/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–04.10.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे राईस मिल का संचालन करते हैं। पृच्छा के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें पूर्व से एक एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्राप्त है जिस पर उनके द्वारा शस्त्र धारित है। उक्त शस्त्र के अतिरिक्त अन्य शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का औचित्य पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1141/गो0, दिनांक–10.08.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना के ज्ञापांक–48/श0, पटना, दि0–07.08.2013 द्वारा थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर मूल आवेदन के साथ संलग्न कर भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक राकेश कुमार गुप्ता राईस मिल्स (प्रा0) लि0, जमाल रोड, पटना के प्रॉपराईटर हैं। आवेदक एक महत्वपूर्ण व्यवसायी हैं। व्यवसाय के क्रम में उन्हें अक्सर बाहर आना–जाना पड़ता है। आवेदक के नाम पूर्व से एक अनुज्ञप्ति सं0–73/2010 पर पिस्टल सं0–7912 धारित है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत की गई और इसके अतिरिक्त उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री राकेश कुमार गुप्ता, पिता–श्री भरत प्रसाद, सा0–203, ओमराज अपार्टमेंट, जमाल रोड, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।